राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक : प.22(306) परि/प्रवर्तन/धारा 86/17/00918/1145 जयपुर, दिनांक 20/1/2022

सूचना

राजस्थान राज्य में पंजीकृत बसों के दिल्ली में अनाधिकृत रूप से संचालन पर प्रवर्तन शाखा, परिवहन विभाग दिल्ली द्वारा बनाये गये चालानों पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशानुसार संबंधित बसों के वाहन स्वामियों को अनुज्ञापत्र की शर्तों के उल्लघंन पर मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 86 के तहत संबंधित सचिव प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी कर, सुनवाई दिनांक 07.01.2022 को नियत की गई थी।

सभी संबंधित वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में सुनवाई की आगामी तिथि 08.02.2022 निर्धारित की जाती है।

अतः आप व्यक्तिशः अथवा जरिए अधिवक्ता दिनांक 08.02.2022, समय मध्यान्ह 3.00 बजे सदस्य राज्य परिवहन प्राधिकार के समक्ष उनके कार्यालय के मीटिंग हॉल 402 चतुर्थ मंजिल, परिवहन विभाग, सहकार मार्ग, जयपुर पर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा इस प्रकरण में प्राप्त तथ्यों/साक्ष्यों के आधार पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(आर.सी.यादव)
सचिव
राज्य परिवहन प्राधिकार

क्रमांक : प.22(306) परि/प्रवर्तन/धारा 86/17/00918/1146-48 जयपुर, दिनांक 20/1/2

प्रतिलिपि :–

1. सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार अजमेर, अलवर, बीकानेर, चित्तौडगढ, जयपुर, जोधपुर, सीकर, उदयपुर को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित सभी वाहन स्वामियों को यथा समय सुनवाई हेतु उपस्थित होने हेतु सूचित कर सुनवाई दिनांक 08.02.2022 को लिखित में **अपना पक्ष/जवाब** मुख्यालय में प्रस्तुत करने हेतु पाबंध करें एवं तामील रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
3. रक्षित पत्रावली।

सचिव
राज्य परिवहन प्राधिकार